## <u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 270 / 2018 आर.सी.टी. कं. 256 / 18 संस्थापन दिनांक—22.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

बन्दु पिता गोपाल वर्मा उम्र 36 साल, निवासी घटवा थाना ठीकरी, जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित )

- 01— अभियुक्त **बन्दु पिता गोपाल** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 16.02.2018 को समय 19:15 तथा 19:30 बजे के मध्य स्थान—शुगर फैक्ट्री के सामने घटवा, थाना ठीकरी पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक ज्ञोले मे 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन के रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वैच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.02.2018 को मूखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति घटवा तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान अंकित पिता महेश एवं सावन पिता मंशाराम को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर मूखबिर के बताये स्थान के पास पहुंचे। थोडी देर बाद एक व्यक्ति घटवा तरफ से एक झोला में अवैध शराब लेकर आ रहा है। जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम बन्दु पिता गोपाल का

$\triangle$	•					
ान	रतर	 	 _	_	_	

होना बताया। अभियुक्त बन्टु पिता गोपाल के पास मिले झोले को चेक करते उसके अंदर 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। अभियुक्त बन्टु पिता गोपाल का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष अभियुक्त बन्टु पिता गोपाल के कब्जे से 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अप० क० 51/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त बन्टु पिता गोपाल के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त बन्टु पिता गोपाल ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। 05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1100/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भूगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / -

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म०प्र0 (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0